द्वितीय माला, खण्ड १२ — अंक ११
२४ फरवरी, १९५८ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fourth Session)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
9.5.92
Fumigated
On 24.11.83
Parliament Library

(खण्ड १२ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

विषय–सूची

पृष्ठ

(द्वितीय माला खण्ड १२–अंक ११ से २०––२४ फरवरी से १० मार्च १९५८)

अंक ११–सोमवार, २४ फरवरी, १९५८

मौलाना आजाद, श्री बा० दास और श्री वां० एम० अबदुल्ला का निधन ... ९४३–४९

दैनिक संक्षेपिका ... ९५०

अंक १२––मंगलवार, २५ फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४४९ से ४५२, ४५४, ४५६ से ४५९, ४६१ से ४६५ और ४६७ ... ९५१–७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ से ४४८, ४५३, ४५५, ४६०, ४६६, ४६८ से ४९१ ... ९७४–१००२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८२ से ५६६ ... १००२–५२

श्री सं० कु० बनर्जी का निधन ... १०५३

स्थगन प्रस्ताव ... १०५३–५४

१. पठानकोट रेलवे साइडिंग में गोला बारूद में विस्फोट ... १०५३–५४

२. अम्बाला में चांदमारी के समय सैनिकों का हताहत होना ... १०५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... १०५५–५८

राज्य-सभा से संदेश ... १०५८

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया । ... १०५८

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारतीय डाकखाना नियमों के सम्बन्ध में याचिकायें ... १०५८

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५७–५८ ... १०५९

अपराधी परिवीक्षा विधेयक––

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पुरःस्थापित किया गया ... १०५९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का रक्षण . . १०५४-६०

तारांकित प्रश्न संख्या २०५ के उत्तर की शुद्धि . . . १०६०

आसनसोल के निकट कोयले की खानों में दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में वक्तव्य १०६१-६२

विधेयक पुरःस्थापित किये गये १०६२-६३

१. नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक १०६२

२. विनियोग विधेयक, १९५८ १९६३

विनियोग विधेयक--

विचार के लिए प्रस्ताव १०६३

केन्द्रीय बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक--

विचार के लिए प्रस्ताव १०६३-६४

खण्ड १ तथा २ १०६४

पारित करने का प्रस्ताव १०६४

नियम ७४ के प्रथम परन्तुक के निलम्बन के सम्बन्ध में प्रस्ताव १०६४-६५

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक १०६५-९२

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १०६५

सभा का कार्य १०७३

पठानकोट में हुए विस्फोट के सम्बन्ध में वक्तव्य . . १०९२-९४

श्री कृष्ण मेनन

कार्य मंत्रणा समिति--

उन्नीसवां प्रतिवेदन १०९४

दैनिक संक्षेपिका १०९५-११०६

अंक १३--बुधवार, २६ फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४९२ से ४९६, ४९८, ५०० से ५०२, ५०४ से ५०८, ५११ से ५१३ और ५१५ से ५२० ११०७-३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४९७, ४९९, ५०३, ५०९, ५१०, ५१४ और ५२१ से ५२६, ५२८ और ५२९ ११३२-३७

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या ५९७ से ६०६, ६०८ से ६२७, ६२९ से ६५५ और ६५७ से ६६७	११३७-६५
स्थगन प्रस्ताव--	
हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड के कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाना .	११६५-६७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	११६७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	११६८
दिल्ली पौलीटैक्नीक के विद्यार्थी की हड़ताल के बारे में वक्तव्य . .	११६८
कार्य मंत्रणा समिति	
उन्नीसवां प्रतिवेदन	११६८
विनियोग विधेयक--पारित	११६९
रेलवे आयव्ययक--सामान्य चर्चा	११६९--१२०८
सोनापुर स्टेशन पर रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . .	१२०८
दैनिक संक्षेपिका	१२०९--१३
अंक १४--गुरुवार, २७ फरवरी, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५३६, ५३८ से ५४२, ५४४, ५४८, ५५०, ५५२, ५५३ और ५५६ . . .	१२१५--४०
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३७, ५४३, ५४५ से ५४७, ५४९, ५५१, ५५४, ५५५ और ५५७ से ५६९	१२४०--४८
अतारांकित प्रश्न संख्या ६६८ से ७०४ और ७०६ से ७११ .	१२४८--६८
स्थगन प्रस्ताव--	
गोआ जेल में श्रीमती सुधा जोशी द्वारा अनशन	१२६८-६९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१२६९-७०
पठानकोट में हुये विस्फोट के बारे में अग्रेतर वक्तव्य	१२७०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	
पांचवां प्रतिवेदन	१२७१
समिति के लिये निर्वाचन--	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	१२७१
रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा	१२७१--१३१९
अम्बाला में चादमारी क्षेत्र की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . .	१३१९
दैनिक संक्षेपिका	१३२०--२४

पृष्ठ

अंक १५—शुक्रवार २८ फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७० से ५८१, ५८३ से ५८५ और ५८७ से ५८९ . . . १३२५—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८२, ५८६, ५९० से ६१० और ३५३ . . . १३४८—५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१२ से ७६६ . . . १३५८—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १३८०

अनुपस्थिति की अनुमति . . . १३८०

सभा का कार्य . . . १३८१

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . १३८१—९८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पन्द्रहवां प्रतिवेदन . . . १३९८

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की जांच करने वाले आयोग के सम्बन्ध में संकल्प . . . १३९८—१४१२

सामान्य आय-व्ययक का उपस्थापन . . . १४१२—२८

वित्त विधेयक—पुरःस्थापित किया गया . . . १४२८—२९

दान कर विधेयक—पुरःस्थापित किया गया . . . १४२९

संपदा शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया . . . १४२९

दैनिक संक्षेपिका . . . १४३०—३३

अंक १६—सोमवार, ३ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६११, ६१२, ६१४, ६१६ से ६३० और ६३२ से ६३४ . . . १४३५—५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१५, ६३१ और ६३५ से ६५५ . . . १४५९—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६७ से ८२० . . . १४६९—८९

श्री दुर्गा चरण बनर्जी का निधन . . . १४८९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १४८९

राज्य-सभा से सन्देश . . . १४९०—९१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

डा० ग्राहम के साथ हुई बातचीत . . . १४९१—९२

तारांकित प्रश्न संख्या २१९ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर की शुद्धि . . . १४९२

पृष्ठ

चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १४९२–९३
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा .... १४९३—१५१७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५७–५८ . ... १५१७—२५
दैनिक संक्षेपिका . . . . १५२६—३१

अंक १७—मंगलवार, ४ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ से ६६० और ६६२ से ६६९ .... १५३३—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ और ६७० से ७०३ .... १५५४—६७
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२१ से ८९३ . ... १५६७—९६
जानकारी का प्रश्न १५९६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र १५९६
समिति के लिये निर्वाचन १५९७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें—रेलवे, १९५७–५८ . ... १५९७—१६१४
अनुदानों की मांगें—रेलवे, १९५८-५९ . . .. १६१४—५४
दैनिक संक्षेपिका . . .. १६५५—५९

अंक १८—शुक्रवार, ७ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०५, ७०७ से ७०९, ७१२, ७१४, ७१५, ७१७, ७१८, ७२१, ७२३, ७२५, ७२८ से ७३१ और ७३४ से ७३८ .... १६६१—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०४, ७०६, ७१०, ७११, ७१३, ७१६, ७१९, ७२०, ७२२, ७२४, ७२६, ७२७, ७३२, ७३३ और ७३९ से ७५३ .... १६८५—९६
अतारांकित प्रश्न संख्या ८९४ से ९९८ . . .. १६९७—१७३८
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५८ पुरःस्थापित किया गया १७३९
अनुदानों की मांगें—रेलवे १७३९–५९
विधेयक पुरःस्थापित किये गये १७५९–६०, १७७८–७९

(१) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक १९५८ (धारा ३४२ तथा ५६२ का संशोधन) १७५९
(२) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा ८७ख का लोप) १७५९–६०
(३) लाइट रेलों का प्रबन्ध (राज्य द्वारा लिया जाना) विधेयक १९५८ .... १७७८

पृष्ठ

(४) संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा ६ का संशोधन) १७७९

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक––(नई धारा १२४ ख का रखा जाना)

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७६०––६६

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक––(धारा ३०४क का संशोधन)––
विचार का प्रस्ताव . . . १७६६––६९

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक––(धारा ४ का संशोधन)––
विचार का प्रस्ताव––अस्वीकृत हुआ १७६९––७४

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक––(धारा ५१६क तथा ५१० का संशोधन)

विचार का प्रस्ताव––अस्वीकृत हुआ . १७७४––७७

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक––(धारा ४९७ का लोप) ––

विचार का प्रस्ताव १७७७–७८

दैनिक संक्षेपिका १७८०––८५

अंक १९––शनिवार, ८ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––
तारांकित प्रश्न संख्या ७५४ से ७५७, ७५९, ७६१ से ७६४, ७६६, ७६७, ७७२, ७७४ से ७७६, ७७८ से ७८३, ७८६ से ७८८ और ७७१ १७८७––१८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––
तारांकित प्रश्न संख्या ७५८, ७६०, ७६५, ७६८ से ७७०, ७७३, ७७७, ७८४ और ७८५ . . . १८१३––१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९९ से १०६५ १८१७––४६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १८४७–४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––
पाकिस्तानी राष्ट्र-जनों द्वारा आक्रमण १८४८–४९

सभा का कार्य १८५०

विनियोग (रेलवे) विधेयक––पारित किया गया . . १८५०

लेखानुदान की मांगें . . १८५१––५५

अनुदानों की मांगें––रेलवे . १८५६––१९०३

मांग संख्या १ . . . . . . १८५६––७०

मांग संख्या २ से १८ और २० . . . . १८७०––१९०३

दैनिक संक्षेपिका १९०४––०८

पृष्ठ

अंक २०—सोमवार, १० मार्च, १९५८

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १९०९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९३, ७९५, ७९७, ८०१, ८०३, ८०४, ८०६, ८१० से ८१३ और ८१५ १९०९—३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ १९३४—३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८९, ७९४, ७९६, ७९८ से ८००, ८०२, ८०५, ८०७ से ८०९, ८१४ और ८१६ से ८३६ १९३५—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६६ से १०८३ और १०८५ से ११२६ १९४९—७५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९७५

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १९७५—७६

अनुदानों की मांगें—रेलवे . १९७६—९१

नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक—

विचार का प्रस्ताव १९९१—२००४

खण्ड २ तथा १ . २००२—०४

पारित करने का प्रस्ताव २००४

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में

विचार का प्रस्ताव २००५—१८

खण्ड १ से ४ २०१८

पारित करने का प्रस्ताव २०१८

कार्य मंत्रणा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन २०१८

दैनिक संक्षेपिका २०१९—२३

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्नों में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्नों को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सोमवार, २४ फरवरी, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्री बी० दास और श्री वी० एम० उबैदुल्ला का निधन

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: अध्यक्ष महोदय, प्रायः ऐसा संयोग आता है कि मुझे अपने किसी साथी या किसी महान् व्यक्ति की मृत्यु का यहां उल्लेख करना पड़ता है । मुझे इस कर्तव्य का जो कि एक दुखपूर्ण कर्तव्य है---आज फिर पालन करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे एक साथी, जो कि अभी कुछ दिनों पहले तक हमारे साथ थे, अचानक हमें छोड़ कर चले गए जिससे हमें महान् कष्ट और तीव्र वेदना हुई है और जिससे न केवल संसद् में उनके साथियों को ही बल्कि देश की असंख्य जनता को भी महान् दुःख हुआ है ।

साधारणतया यह एक परम्परा सी बन गई है कि जब किसी महान् व्यक्ति का निधन होता है तो हम यही कहते हैं कि उसकी मृत्यु से अपूर्व क्षति हुई है और एक ऐसा अभाव उत्पन्न हो गया है, जो पूरा नहीं किया जा सकता । यह बात प्रायः सत्य होती है पर मौलाना आज़ाद की मृत्यु के सम्बन्ध में यह बात अक्षरशः और पूर्णत्य सत्य है । मेरा मतलब यह नहीं है कि अब भारत में कोई महान् व्यक्ति पैदा नहीं होगा । पहले भी भारत में महान् व्यक्ति हुए हैं और आगे भी होंगे । पर मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मौलाना आज़ाद में जिस विचित्र और विशेष प्रकार की महानता थी, वैसी विचित्र और विशेष महानता का व्यक्ति शायद अब भारत में या अन्य कहीं पैदा न हो ।

उनके महान् ज्ञान, उनकी विद्वता और उनकी वाक्पटुता की विशेषताओं के बारे में हम सभी जानते हैं, अतः इस सम्बन्ध मैं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता। वह एक महान् लेखक थे और अन्य बहुत-सी बातों में वह महान् थे । वैसे तो अन्य बड़े-बड़े विद्वान् लेखक और वक्ता हैं पर उनमें भूतकाल की और वर्तमान युग की महानता का गौरवपूर्ण सम्मिश्रण था । वह हमें हमेशा इतिहास के पुराने युगों---यूरोप के पुनरोत्थान युग और फ्रांस की राज्य क्रान्ति के मेघावी व्यक्तियों की याद दिलाते थे । उन्हें देखकर हमें यह भी स्मरण हो आता था कि प्राचीन युग और उस युग के लोगों की क्या महान् विशेषतायें थीं । यह सत्य है कि प्राचीन काल में अनेक बुराइयां भी थीं । पर महानता,

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]
शिष्टाचार, सहिष्णुता और धैर्य जैसे गुण जो उस समय थे वे आज के लोगों में दुर्भाग्य से नहीं मिलते। आज हम विज्ञान और प्रविधि के दृष्टिकोण से चाहे कितनी भी उन्नति क्यों न कर लें पर हम में वह प्राचीन गौरव नहीं दिखाई पड़ता। हम आज चाहे चन्द्रमा तक पहुंचने तक की भी कोशिश करें पर यह सब उस गौरव, सहिष्णुता से विहीन होगा, जो संसार के आरम्भ से जीवन का स्रोत समझा जाता था। अतः प्राचीनकाल की गौरवपूर्ण महानता और वर्तमान युग की विद्वता और सहिष्णुता के अनौखे और मिले-जुले स्वरूप थे—हमारे मौलाना आजाद।

हम सब जानते हैं कि उनमें अपनी युवावस्था से ही भारत को स्वतन्त्र कराने की भावना थी और वह क्रान्ति के उग्र साधनों को भी अपनाने की ओर बढ़े। पर शीघ्र ही उन्होंने यह महसूस किया कि इस रास्ते पर चलने से परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा।

मौलाना आजाद भारत की उस मिली-जुली सभ्यता के विशेष प्रतिनिधि थे, जो कालान्तर में भारत में विकसित हुई है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हर आदमी को मिली-जुली सभ्यता का प्रतीक होने के लिये मौलाना आजाद की तरह ही होना चाहिये। भारत के विभिन्न भागों में इसके प्रतिनिधि हैं परन्तु मौलाना आजाद दिल्ली, बंगाल या कलकत्ता जहां भी कहीं रहे, वहां इन भिन्न-भिन्न मिली-जुली सभ्यताओं के—जो भारत में समय-समय पर आईं और यहां के लोगों को जिन्होंने प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुए—प्रतीक बन कर रहे।

इस प्रकार वह भारत की सभ्यता के, जहां तक उस पर पश्चिमी एशिया के देशों की भिन्न-भिन्न सभ्यताओं—ईरानी सभ्यता, फारसी सभ्यता, अरबी सभ्यता की छाप थी, प्रतीक थे। इन सभ्यताओं का भारत की सभ्यता पर हज़ारों वर्षों तक प्रभाव रहा। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं समझता कि भष्विय में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा होगा जो उनकी कमी को पूरा कर सके क्योंकि जिस युग में वे रहे उस युग में पहले ही परिवर्तन होने लगा था। हम में से कुछ लोग उस युग के धुंधले से स्मारक हैं, जो बीत चुका है।

मैं नहीं जानता कि आने वाली पीढ़ी के लोग उस युग के सम्बन्ध में कोई भावनात्मक कल्पना भी कर सकेंगे। आज हम पहले की अपेक्षा एक भिन्न प्रकार से कार्य कर रहे हैं; हमारी विचार धाराओं में काफी अन्तर पड़ गया है और हमारे विवेचनात्मक दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन हो गया है जो कि हमें उस प्राचीन युग से पृथक् करता है।

मैं इस बात की कोई शिकायत नहीं करता कि हममें कोई परिवर्तन हो गया है: परिवर्तन होना उचित है। यदि परिवर्तन न हो तो हमारे अन्दर अनेक पुरानी आदतें, जो किसी विशेष काल के लिए उचित थीं, और जो अब उचित नहीं हैं, बनी रहेंगी। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्राचीन युग की अनेक बुराइयों के साथ अच्छाइयां भी मिटती जा रही हैं और उन अच्छाइयों के एक उज्जवल प्रतीक थे मौलाना आजाद।

एक बात का उल्लेख मैं अवश्य करूंगा और वह मौलाना आजाद के जीवन और उनकी शिक्षा के सम्बन्ध में है—यद्यपि मुझे खुद इस बात की गलतफहमी थी और मैं स्वयं भी यह गलत बात कह चुका था। आज सुबह अखबारों में मौलाना आजाद के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प का उल्लेख है। उसमें एक गलत बात कही गई है—जैसा कि मैंने कभी कहा था—कि वह अल-अजहर विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गये थे। पर ऐसी बात नहीं है, यह बात गलत है। पहले मैं भी इसी गलतफहमी का शिकार था, नहीं तो मैं सरकारी संकल्प में यह गलत बात न प्रकाशित होने देता। सच तो यह है कि वह कभी भी अल-अजहर विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु नहीं गये। हां, वह काहिरा अवश्य गये थे पर एक दर्शक या भ्रमणकर्ता के रूप में और उन्होंने वहां का भ्रमण किया; वह कभी भी वहां पढ़ने नहीं गये थे।

उनकी शिक्षा अन्यत्र हुई थी। उन्होंने मुख्यतया कलकत्ते में—अरबी स्कूल में और अन्य स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की थी। पर अरब में वह कई बर्षों तक रहे। उनका जन्म वहीं हुआ था और उन्होंने मिस्र का, पश्चिमी एशिया के अन्य देशों का भी भ्रमण किया। पर यह एक दूसरी बात है।

आज हम उस महान् व्यक्ति की, उस ज्वाजल्यमान मेघावी व्यक्ति की मृत्यु पर शोक मना रहे हैं जिसमें समस्याओं को सुलझाने की एक अद्भुत क्षमता थी। मैंने 'ज्वाजल्यमान' शब्द का प्रयोग किया—मैं समझता हूं कि उनके लिए यह शब्द बहुत ही उपयुक्त है। जब हम लोगों में से ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे आप चाहे साथी, सहयोगी, मित्र, नेता या शिक्षक या और कुछ भी कहें—चला जाता है तो हमारे जीवन में, हमारी गतिविधियों में एक बहुत बड़ा अभाव पैदा हो जाता है।

हो सकता है कि हम इस अभाव को तुरन्त ही महसूस न करें, क्योंकि तुरन्त हमारे ऊपर जो प्रतिक्रिया होती है उससे हमें हार्दिक वेदना व शोक होता है। धीरे-धीरे हमें महसूस होता है कि एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा अभाव पैदा हो गया है और यह एक ऐसा अभाव है, ऐसी कमी है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। पर संसार में हमेशा से ऐसा होता आया है और हमें इसका सामना करना ही पड़ता है। हमें इस कष्ट या शोक का सामना नकारात्मक रूप में या निराशावादी रूप में नहीं करना चाहिए बल्कि आशावादी और रचनात्मक रूप में करना चाहिए तथा वह और हमारी शान्ति-प्रिय सेना के अन्य महान् नेता और सेनाध्यक्ष हमारे लिए जो काम छोड़ गए हैं उसके लिए हमें लगन से अपना सब कुछ लगा कर प्रयत्न करना चाहिए। वे हमारे लिए जो संदेश छोड़ गए हैं हमें उसका पालन करना चाहिए। अतः मैं आशा करता हूं कि यद्यपि वह अब नहीं रहे हैं फिर भी वह अमर रहेंगे और उनका संदेश हमारे साथ रहेगा और हमारा पथ-प्रदर्शन करेगा जैसा कि भूत में वह हमारा पथ-प्रदर्शन करता रहा है।

[1]**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर—मध्य) : प्रधान मंत्री ने जो उद्गार प्रगट किये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। उन्होंने जो चित्र उपस्थित किया है उसमें कुछ और जोड़ना बहुत कठिन है। १९२० से मौलाना आजाद हमारे साथ राष्ट्रीय आन्दोलनों में रहे। इस प्रकार उनके चले जाने से जो कमी या अभाव पैदा हो गया है उसे हम सब महसूस करते हैं। मौलाना आजाद १०वीं शताब्दी की विभिन्न सभ्यताओं के प्रतीक थे और दर्शन, गणित व उमर खैय्याम के साहित्य की जीती-जागती तस्वीर थे। उनमें नवीन युग के आदर्शों तथा सनातन आदर्शों का एक सुन्दर सम्मिश्रण था।

आज से १२ या १३ वर्ष पूर्व साम्प्रदायिकता की एक जबरदस्त लहर आई थी जिसमें छोटे बड़े अनेक लोग बह गये पर मौलाना आजाद एक चट्टान की भांति अडिग खड़े रहे। उस समय राष्ट्रीयता के आन्दोलन में इस प्रकार अडिग रहना मौलाना साहब के लिए एक साहस का काम था।

इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से महान् व्यक्ति पैदा होंगे पर उन जैसा व्यक्ति पैदा होना कठिन है।

[1]**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : मौलाना आजाद के प्रति मौन होकर सम्मान प्रकट करना कठिन है क्योंकि उद्गार निकल ही पड़ते हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने उनके सम्बन्ध में जो कहा है मैं उसमें उनके साथ हूं। सामान्य जनता को मौलाना आजाद की मृत्यु से जो दुःख हुआ है उसका पता हमें परसों की भीड़-भाड़ और कल की सार्वजनिक सभा को देखकर लगता है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया, मौलाना आजाद गत कुछ शताब्दियों में भारत में आई भिन्न-भिन्न सभ्यताओं के सच्चे प्रतीक थे। मौलाना आजाद जहां तक प्राचीन युग के आदर्श प्रतीक थे वहां वे नये युग के भी आदर्श प्रतीक थे। १९१२ में उन्होंने जो 'अलहिलाल' नामक उर्दू पत्र निकाला उससे उनके महान् ज्ञान तथा राजनैतिक मामलों की प्रवीणता व पटुता का पता लगता है।

---

[1]मूल अंग्रेजी में।

[आचार्य कृपालानी]

इस्लाम की उन्होंने महान् सेवा की। यह बताना कठिन है कि वह इस्लाम को अधिक प्यार करते थे या भारत को। सच पूछा जाये तो उनका व्यक्तित्व इस्लाम प्रेम व भारत प्रेम का एक ऐसा सम्मिश्रण था जिसमें न इस्लाम बड़ा था न भारत, दोनों समान थे।

मौलाना आजाद में अनेक महान् गुण थे। वह एक महान आध्यात्मवादी, वक्ता, विद्वान् और दार्शनिक थे। जब भारत स्वतन्त्र नहीं था तो राजनैतिक नाम की कोई चीज नहीं थी—उस समय देश में प्रेम और बलिदान की आवश्यकता थी। अतः हम सभी और मौलाना आजाद भी राजनीति में उतर पड़े। मौलाना आजाद का विचार था कि उनके दर्शन, उनकी विद्वता और उनके आध्यात्मवाद का कोई मूल्य नहीं है यदि भारत स्वतन्त्र नहीं होता। अपनी युवावस्था में ही उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेना शुरू किया। मैं उनके साथ-साथ रहा और हम लोगों ने विचार किया—वह लगभग १९२० का समय था—कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए हिंसात्मक क्रान्ति कोई उचित उपाय नहीं है बल्कि स्वतंत्रता प्राप्त करने का वास्तविक मार्ग जैसा कि माहत्मा गांधी ने हमें बताया है—जनता में जागृति पैदा करना है।

बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो क्रान्तिकारी आन्दोलन में शुरू से आखिर तक लगातार रहे। अनेक लोग थक गये, कुछ यह मार्ग छोड़ कर चले गये पर मौलाना आजाद उन लोगों में से थे जो शुरू से आखिर तक अपने मार्ग पर अडिग रहे। उन्हें कई बार अपमान सहने पड़े, कठिनाइयां उठानी पड़ीं; उन्हें अपनी जाति का विरोध करना पड़ा पर फिर भी वह देश की सेवा के लिए देश के उद्धार के लिए अपने निश्चित मार्ग से कभी भी विचलित न हुए।

जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री ने बताया यह बात सत्य है, अक्षरशः सत्य है कि मौलाना साहब की मृत्यु से राष्ट्र को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। शाब्दिक चर्चाओं में उनसे अधिक कुशल व्यक्ति हो सकते हैं पर मौलाना साहब शाब्दिक बातों में ही नहीं, परामर्श देने में भी अद्वितीय थे। राजनैतिक स्थिति का विश्लेषण करने में उनका दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट था। चाहे उनकी राय से कोई व्यक्ति सहमत हो या न हो पर राजनैतिक स्थिति का जो विश्लेषण वे करते थे उससे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकता था।

मैं उस महान् आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : आज से लगभग ४० वर्ष पूर्व जब मैं बच्चा था उस समय मैं रांची में मौलाना आजाद से मिला था—उस दिन की याद आज भी मेरे हृदय में बहुत ताजी है। मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ था और वह प्रभाव मेरे जीवन में अक्षय है।

मौलाना आजाद समग्रतः संस्कृति तथा राष्ट्रीयता के एक प्रतीक थे। स्वतन्त्र संसदीय दल की ओर से मैं प्रधान मंत्री द्वारा प्रकट किये गये उद्गारों का समर्थन करता हूं। आजाद साहब के निधन से हमारे प्रधान मंत्री को बहुत दुःख हुआ है परन्तु मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग उनके कामों में पूरी तरह सहयोग देंगे। मौलाना आजाद का आदिम जाति क्षेत्र में बहुत सम्मान था, यह बात मैं विश्वस्त रूप से आपसे कह रहा हूं।

ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : जनाब रईस मजलिस, मैं भी इजहार अफसोस करते हुए कुछ बातें बतलाना चाहता हूं जो कि अक्सर यहां पर मालूम नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मेरा मौलाना साहब से बड़ा पुराना ताल्लुक है। जब कि हमने क़ाबुल में हुकूमते हिन्द मुवक्कत बना ली थी और जब कि मैं उनका रईस था तो यहां से मौलाना साहब, जनाब मोहम्मद अली और शौकत अली साहब हमको पैगाम भेजा करते थे। उस वक्त मौलाना साहब इन्कलाबी थे और यकीन करते थे फौजी तैयारी में। यहां पर एक और शाहिद बैठे हुए हैं, जनाब कृपालानी साहब। उनके भाई साहब भी हमें पैगाम भेजा करते थे और उनकी मार्फत हम यहां हिन्दुस्तान में पैगाम भेजा करते थे। खुद कृपालानी साहब ने मुझे यह बतलाया था कि उस वक्त वह भी बम और तुफंगचे में यकीन करते थे। बाद को वह भी महात्मा गांधी जी की नानवोयालेन्स के एक हामी बन गये और हमारे मौलाना साहब भी हामी बन गये। मगर हमारा और मौलाना साहब का ताल्लुक बराबर कायम रहा। दूसरी लड़ाई के जमाने में जब कि मैंने **एग्जिक्यूटिव बोर्ड आफ इंडिया, टू फ्री इंडिया बाई आॅल पासिबल मीन्स विद फारेन हेल्प** बनाई हुई थी, जिसका मैं रईस था, प्रेजिडेंट था। उस वक्त मैंने एक मि० सेन की मार्फत एक पैगाम भेजा था। उस वक्त मौलाना साहब रईस मजलिसे हिन्द थे यानी कांग्रेस के प्रेजिडेंट थे। वह हमको पैगाम ले कर गये और उन्होंने बतलाया कि मौलाना साहब हमारे कारे खिदमत के मददगार हैं। इस तरह मौलाना साहब से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक था, रिश्ता था और बराबर वह कायम रहा।

जब मैं लौट कर आया सन् १९४६ में, हमारे वजीर आजम जनाब पंडित नेहरू साहब मुझ से गले मिले और मुझे वर्किंग कमेटी में ले गये। यह सन् १९४६ में अगस्त की बात है। उस वक्त मौलाना साहब से मैं ने वर्किंग कमेटी में सब से पहला यही सवाल पूछा था कि मौलाना साहब क्या वह बात ठीक थी जो कि सेन साहब ने बतलाया कि आप हामी हैं हमारे तर्जे अमल के? उस वक्त उन्होंने कहा—"जी हां"। यह भी एक बड़ा ताल्लुक था। उसके बाद में सन् १९४८ में, जब कि मौलाना साहब ने मुझे और शेरगिल साहब को शिमले में लंच पर बुलाया, मेरी बड़ी लम्बी बातें हुई और मैंने कहा कि मौलाना साहब, अगर यह पाकिस्तान रह जायेगा तो बड़ा नुकसान होगा और यह बहुत खतरनाक साबित होगा। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो कि मुखालिफत कर रहे हैं। तो मौलाना साहब ने कहा कि जवाहरलाल का कुछ नहीं, उसको तो हम मना लेते हैं। मालूम नहीं मनाया या नहीं, मगर यह एक हकीकत है, कि मैंने बतलाया था कि किस तरह से पाकिस्तान को मिटाया जा सकता है, मगर उसके बारे में यकीनन वह वर्किंग कमेटी को तैयार न कर सके।

उन्होंने कहा था कि मैं आकर दिल्ली में मिलूं, मैं मिला, मगर बाद को उन्होंने बतलाया कि वर्किंग कमेटी मेरे तर्जे अमल को सुनने के लिये भी तैयार नहीं। बहरकैफ मेरे कहने का मतलब यह है कि मौलाना साहब एक शख्स थे वर्किंग कमेटी में जो कि मेरे तर्जे अमल को अच्छी तरह समझते थे और अगर खुदा की मेहरबानी से वह और जिन्दा रहते, और अभी मैं जैसे पाकिस्तान हो कर भी आया हूं, मुमकिन हैं कि उसी तर्जे अमल को काम में लाते।

बस और कुछ मैं नहीं कहता। दुआ करता हूं कि उनके लिये। जनाब वजीर आजम साहब की खिदमत में एक बात अर्ज कर दूं। उनको बहुत रंज हुआ कि कोई उनका सलाहकार नहीं रहा। मैं उनको सलाहकार देता हूं। जनाब अब्दुल मजीद ख्वाजा साहब। उनको बुला लीजिये, उनकी सलाह से काम कीजिये। मेरी समझ में वह मौलाना साहब से कम मुफीद साबित नहीं होंगे।

†**श्री वि० राजू** (विशाखपटनम्) : मौलाना आजाद साहब के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं तो इस नई पीढ़ी का हूं और मौलाना आजाद, हमारे प्रधान मंत्री व आचार्य कृपालानी

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वि० राज]

और महात्मा गांधी पुरानी पीढ़ी के राष्ट्रीय नेता थे। आज की पीढ़ी के नवयुवकों और राजनीतिज्ञों के सामने तरह-तरह की समस्यायें हैं, आज जातिवाद और सम्प्रदायवाद का युग है। हमारे सामने अनेक समस्यायें हैं। अतः मैं चाहता हूं कि हमारे देश के नवयुवक हमारी नई पीढ़ी आजाद साहब के आदर्शों का अनुकरण करे।

आजाद साहब एक मुसलमान थे पर उन्होंने इस्लाम को राष्ट्रीयता के रंग में रंग लिया था। हम उनके आदर्शों पर चलना चाहिए।

निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहने पर, बिना किसी प्रकार की इच्छा रखते हुए, हम १० वर्षों तक जीवित रह सकते हैं यही आजाद साहब के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। मौलाना आजाद हमारी नई पीढ़ी के लिए यही आदेश छोड़ गये हैं और हमें उनके बताये मार्ग पर चलना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा नेता तथा अन्य दलों के नेताओं ने मौलाना आजाद के प्रति अपने-अपने जो उद्गार प्रकट किये हैं मैं उन उद्गारों के व्यक्त करने में उनके साथ हूं।

मौलाना साहब एक महान् राष्ट्रीय जननायक तथा देशभक्त थे। युवावस्था में ही उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में पदार्पण किया और अपना सारा जीवन इसी महान् कार्य में लगा दिया। उनकी सेवायें और उनका त्याग महान् हैं। वह महात्मा गांधी के दाहिने हाथ थे और स्वतन्त्र भारत के महान् निर्माता थे।

वह संविधान सभा, और अस्थायी संसद् व लोक-सभा के सदस्य रहे थे और शिक्षा मंत्री के पद पर रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे। वे एक महान् धार्मिक व्यक्ति थे पर उन्होंने धर्म को राजनीति से कभी नहीं मिलाया। हमें उनके जीवन से यही शिक्षा लेनी चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि सभा उनके परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करती है। उनके निधन से हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है।

मुझे दो अन्य मित्रों के निधन की भी सूचना देनी है। श्री बी० दास का निधन कल उनके नई दिल्ली के निवास स्थान पर हो गया। १९४७ में वह केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य बने और कई वर्षों तक उसके सदस्य रहे। मोतीलाल जी के समय में वह कांग्रेस दल के प्रधान सचेतक थे; अन्त में वह लोकलेखा समिति के अध्यक्ष थे। हमें उनके निधन का महान् दुःख है।

मैं सभा को श्री वी० एम० उबदुल्ला के निधन के सम्बन्ध में भी बताना चाहता हूं। वह राज्य-सभा के सदस्य थे। उनकी मृत्यु २१ फरवरी, १९५८ को वेलोर में ५३ वर्ष की आयु में हुई।

वह एक महान् वक्ता थे। युवावस्था में ही वह राजनीति में आये और देश के लिये बहुत प्रचार किया। कई बार उन्हें जेलयात्रा भी करनी पड़ी। हम उनकी मृत्यु पर खेद प्रकट करते हैं और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति महान् सहानुभूति प्रकट करते हैं।

---

†मल अंग्रेजी में।

शोक प्रकट करने के लिए सभा सदस्य १ मिनट के लिए मौन खड़े हों ।

[सदस्य एक मिनट के लिए मौन खड़े रहे]

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं आपके और राज्य-सभा के सभापति के विचारार्थ एक सुझाव रखना चाहता हूं कि मौलाना आजाद का एक चित्र एक प्रसिद्ध कलाकार से बनवा कर संसद् भवन के सेन्ट्रल हाल में टंगवा दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस सुझाव का हृदय से स्वागत करता हूं । मैं समझता हूं कि सभा इस बात के लिए मेरे विचार से सहमत होगी ।

अब दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सभा स्थगित की जाती है और कल ११ बजे समवेत होगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २५ फरवरी १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २४ फरवरी, १९५८]

	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	९४३–४९

प्रधान मंत्री, श्री० अ० डांगे, आचार्य कृपालानी, श्री जयपाल सिंह, राजा महेन्द्र प्रताप, श्री राजू और अध्यक्ष ने शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद के निधन का उल्लेख किया ।

अध्यक्ष ने श्री बी० दास, जो केन्द्रीय विधान सभा, संविधान सभा, अस्थायी संसद् और प्रथम लोक-सभा के सदस्य थे, और श्री बी० एम० उबैदुल्ला, जो अस्थायी संसद् के सदस्य थे, के निधन का भी उल्लेख किया ।

इसके पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान प्रगट करने के लिये एक मिनट के लिए मौन खड़े रहे और इसके बाद सभा दिन भर के लिये स्थगित हुई ।

मंगलवार, २५ फरवरी, १९५८ के लिए कार्याविलि—

केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक पर विचार करना और उसे पारित करना तथा वाणिज्यिक नौवहन विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार करना ।

M109LS—(SI)—160—12-5-58—GIPF